न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 381–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–12–2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व क्षेत्र बदनावर जिला धार प्रकरण कमांक 21/अपील/2011–12.

.....

बद्रीलाल पिता शंकरलाल लुहार
निवासी कडोदाकला, तहसील बदनावर
मृतक तर्फे वारिसगण :–
1– कालूराम पिता बद्रीलाल लुहार
2– संतोष पिता बद्रीलाल लुहार
3– राधेश्याम पिता बद्रीलाल लुहार
निवासीगण कडोदकला
तहसील बदनावर जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

सेवा सहकारी संस्था समिति कडोदकला
अध्यक्ष राधेश्याम पिता शंकरलाल धाकड़
निवासी कडोदकला
तहसील बदनावर जिला धार .....अनावेदक

.....

श्री अरूण मानकर, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 28 जनवरी 2015)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिंकारी राजस्व क्षेत्र बदनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक सेवा सहकारी समिति कडोदकला की ओर से अध्यक्ष राधेश्याम पिता श्री शंकर लाल धाकड़ द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 46 पर पारित आदेश दिनांक 25–4–1981 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी राजस्व क्षेत्र बदनावर जिला धार के समक्ष दिनांक 21–3–2012 को लगभग 31 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अपील विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने के कारण अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत विलम्ब क्षमा हेतु आवेदन पत्र भी अनावेदक समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 21/अपील/2011–12 दर्ज किया जाकर दिनांक 30–12–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर विलम्ब क्षमा किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक समिति द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 46 पर पारित आदेश दिनांक 25–4–1981 के विरूद्ध लगभग 32 वर्ष पश्चात प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इतने अधिक विलम्ब को क्षमा कर अपील समय–सीमा में मानकर अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लगभग 32 वर्ष का विलम्ब क्षमा करने का कोई कारण आदेश में नहीं दर्शाया गया है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक समिति के सूचना उपरांत भी किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक सेवा सहकारी समिति द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 46 पर पारित आदेश दिनांक 25–4–1981 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 21–3–2012 को लगभग 31 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत

प्रस्तुत आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण केवल यह दर्शाया गया है कि जब अनावेदक को नामांतरण पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई, तब दिनांक 10–3–2012 को आदेश की जानकारी हुई, परन्तु उनके द्वारा आवेदन पत्र में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि किन परिस्थितियों में प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की आवश्यकता हुई । लगभग 30 वर्ष से भी अधिक वर्ष तक नामांतरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 25–4–1981 की जानकारी अनावेदक को नहीं होना विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है । अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 30–12–2013 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा केवल इस आधार पर विलम्ब क्षमा किया गया है कि नामांतरण पंजी कमांक 46 पर पारित आदेश दिनांक 25–4–1981 में समिति के प्रतिनिधि अथवा अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं हैं, और अनावेदक एक संस्था होने के नाते विलम्ब क्षमा किया किया जाना उचित है । अनावेदक के संस्था होने के कारण विलम्ब क्षमा किया जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है, और ना ही नामांतरण पंजी पर संस्था के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं होने का लाभ अनावेदक संस्था को दिया जा सकता है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व क्षेत्र बदनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2013 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर